**सहमति प्रकट की है।** अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.24 में दिए निर्देशों की पालना में संशोधित तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार से विरचित की जाती है कि –

"आया वादपत्र के पैरा संख्या 11 में बतायी राजस्व भूमि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का चला आ रहा है, जिससे घोषणा खातेदारी हक की वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में की जाकर वादिनी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काश्त कब्जेशुदा बंटशुदा घोषित करवाने का वादिनी को अधिकार है। विकल्प में वादपत्र के पैरा संख्या 11 में वर्णित राजस्व भूमि का बंटवारा वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 स 4 के वंशानुकम के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का वादिनी को अधिकार है।" – वादिनी

SDM, मेड़ता
प्रेषक 269
1/8/25

उभय पक्षकारान को दिनांक 21.07.2025 को उपखण्ड अधिकारी, मड़ता के न्यायालय में उपिस्थति होने हेतु पाबंद किया जाता है। हस्तगत प्रकरण माननीय उच्चतम नयालय के शीघ्र निस्तारण की लक्षित पत्रावली संख्या 1 है। अतः उपखंड अधिकारी, मेडता को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त संशोधित तनकी का निस्तारण अतिशीघ्र किया जाकर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में अविलंब पेश करें। पत्रावली वास्ते देखने पालना हेतु दिनांक 30.07.25 को पेश हो।

Shrivastava
अपर जिला न्यायाधीश,
मेड़ता

30/7/2025 — उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता से पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है इंतजार हेतु पत्रावली दिनांक 8/8/2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
मेड़ता

8/8/25 — उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी मेड़ता से पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है स्मरण-पत्र जारी हो पत्रावली वास्ते इंतजार अग्रिम कार्य दिनांक 18/8/25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
मेड़ता